भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2465

उत्तर देने की तारीख 08.07.2019

वन अधिकार अधिनियम

2465. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर गुजरात में , वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों के संबंध में अब तक कितने लोगों को पत्र दिए गए हैं;

(ख) इस हेतु पात्र होने के बावजूद कितने लोगों को अभी तक उक्त पत्र नहीं दिए गए हैं ; और

(ग) गुजरात में सभी पात्र लोगों को उक्त पत्र देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)

(क) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में वन अधिकार अधिनियम , 2006) तथा इसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की है। मंत्रालय के पास राज्य सरकारों से दिनांक 31.03.2019 तक प्राप्त उपलब्ध सूचना के अनुसार 19,64,048 अधिकार पत्र (व्यक्तिगत तथा सामुदायिक) वितरित किए गए जि नमें गुजरात में वितरित 87,215 पत्र भी शामिल हैं।

(ख) दिनांक 31.03.2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुल 42,37,853 दावे (व्यक्तिगत और समुदायिक) दायर किए गए हैं , जिनमें से 19,64,048 अधिकार पत्र (व्यक्तिगत और समुदायिक) वितरित किए गए और 17,53,504 (व्यक्तिगत और समुदायिक) दावों को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि कुल 5,20,301 दावे लंबित हैं और मान्यता / सत्यापन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) यह मंत्रालय , गुजरात सहित सभी राज्य सरकारों को वन निवासी समुदायों को वन अधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियम तथा इसमें निहित नियमों में उल्लिखित निर्धारित प्रक्रिया पर बल देते हुए, अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर विभिन्न

निर्देश / परामर्श जारी करता रहा है कि, इसका निर्धारित प्रक्रिया पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि पात्र व्यक्तियों के दावे अस्वीकार न होने पाएं। इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर राज्यों से सभी अस्वीकृत दावों की समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, गुजरात राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया है कि एफआरए के कार्यान्वयन की समीक्षा उप-मंडल स्तरीय समिति , जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठकों में नियमित रूप से की जाती है और आगे एफआरए के कार्यान्वयन की भी समीक्षा सचिव , जनजातीय विकास विभाग और आयुक्त , जनजातीय विकास द्वारा प्रति माह की जाती है।

*****